यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, संचाई कार्य मण्डल, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, संचाई कार्य मण्डल, देहरादून के माह 07/2016 से 12/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री पी.के. श्रीवास्तव एवं श्री सुनील कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारियों तथा श्री संजीव कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 10/01/2018 से 15/01/2018 तक श्री जगमोहन संह रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री अशोक कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं मनोज कुमार संह, पर्यवेक्षक एवं श्री शेखर वर्मा, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 26/07/2016 से 30/07/2016 तक श्री ....., व.लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 09/2014 से 06/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी।

   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2016 से 12/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः देहरादून, कालसी एवं वकासनगर।

   (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	शीर्ष	स्थापना		गैरस्थापना		आ धक्य	बचत (समर्पण)
		प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय		
2014-15	2700	125.25	119.26	-	-	-	-
2015-16	2700	133.40	119.73	-	-	-	-
2016-17	2700	70.24	70.24	-	-	-	-
2017-18	2700	122.00	103.14	-	-	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त ` (लाख)	व्यय (+) ` लाख	बचत (-) ` लाख
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई **B** श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव, संचाई वभाग
प्रमुख अ भयन्ता
मुख्य अ भयन्ता
अधीक्षण अ भयन्ता

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, संचाई कार्य मण्डल, देहरादून को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, संचाई कार्य मण्डल, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 10/2016 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। ..... का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन अ धक व्यय के आधार पर कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो ‘अ’

-शून्य-

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 1- वभागीय लापरवाही से अपूर्ण कार्य पर 365.17 लाख का निरर्थक व्यय।

भारत सरकार द्वारा जनपद देहरादून में डोईवाला वकास खण्ड के अंतर्गत सौंग नदीं के दायें तट पर स्थित गौहरमाफी का बाढ़ सुरक्षा योजना हेतु 595.08 लाख हेतु दी गयी थी (दिसम्बर 2012) जिसकी प्रा व धक स्वीकृति उक्त धनरा श हेतु ही प्रदान की गयी थी (अप्रैल 2013)।

अधीक्षण अ भयन्ता, संचाई कार्य मण्डल, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाया गया (जनवरी 2018) क उपरोक्त कार्य पर वत्तीय स्वीकृति के 05 वर्ष व्यतीत होने एवं 265.17 लाख व्यय होने के उपरांत भी कार्य न केवल अपूर्ण था अ पतु उक्त पर वगत 03 वर्षों से कार्य भी बन्द था।

उक्त की ओर इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर में बताया गया क NGT द्वारा कार्य रोके जाने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका तथा NGT क अनुमति मलते ही कार्य पूर्ण कर लए जायेगे।

वभाग का उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्यों क वभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ही कार्यस्थल भू म/NGT का अ धग्रहण/ अनुमति प्राप्त कर ली जानी चाहिए थी। पुनः वगत 03 वर्षों से कार्य अवरूद्ध रहने एवं NGT की स्वीकृति प्राप्त न होने से उक्त योजना के पूर्ण करने में लागत वृद् ध से भी इंकार नहीं कया जा सकता। मण्डल स्तर पर भी कार्य को पूर्ण कराने हेतु वर्तमान तक कोई प्रयास नहीं कए गए थे जो मंडलीय स्तर पर अनुश्रवण की कमी को दर्शाता है।

अतः वभागीय श थलता के कारण अपूर्ण एवं बन्द कार्यों पर कया गया 365.17 लाख का व्यय एक निरर्थक व्यय था, का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-**III**

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
28/2006-07	01	-
35/2014-15	-	01
41/2015-17	-	01

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य				

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, संचाई कार्य मण्डल, देहरादून तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री जयपाल संह	अधीक्षण अ भयन्ता
(ii)	श्री पूरन चन्द्र	अधीक्षण अ भयन्ता

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

-शून्य-

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, संचाई कार्य मण्डल, देहरादून को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक खण्ड-II